पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: औद्योगिक गलियारे पर काम जल्द

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू होने के बाद प्रदेश सरकार अगले महीने से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम शुरू करेगी। इसके लिए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 12 जिलों में 9179 हेक्टेअर जमीन पर चिन्हित की गई है। इस जमीन को खरीदने का काम किया जाएगा।

इन स्थलों पर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, होजरी, रसायन, दवा व मशीनरी बनाने के उद्योग लगाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे। इन उद्योगों के विकास के लिए एक्सप्रेसवे उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने एक्सप्रेसवे के आसपास के जिलों में जमीन चिन्हित कर ली है। अब यूपीसीडा यहां बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा। चूंकि एक्सप्रेसवे से माल की आवाजाही तेजी से हो सकेगी और अपेक्षाकृत कम समय व कम खर्च में उत्पाद गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसलिए निवेशक उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यहां से एक्सप्रेसवे के जरिए वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा व दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

ये उद्योग लगेंगे

- खाद्य उत्पाद व प्रोसेसिंग, वेबरेज, रिफाइंड
- पेट्रोलियम प्रोडेक्ट, रसायन व रसायन उत्पाद,
- नान मेटेलिक मिनरल प्रोडेक्ट, इलेक्ट्रिक उपकरण
- चिकित्सा, डेंटल उपकरण व आपूर्ति, मशीनरी।

जिले	संभावित उद्योग	क्षेत्रफल हेक्टेयर
बाराबंकी	खाद्य उत्पाद,काष्ठ, दवा	735
अमेठी	खाद्य उत्पाद	855
सुल्तानपुर	खाद्य उत्पाद	768
जौनपुर	टेक्सटाइल	484
आजमगढ़	खाद्य उत्पाद	854
मऊ	खाद्य उत्पाद	813
अयोध्या	फ्रेबीकेटेड मेटेल प्रोडेक्ट	431
संतकबीर नगर	खाद्य उत्पाद	788
गोरखपुर	मेडिकल डेंटल उपकरण	949
अम्बेडकरनगर	टेक्सटाइल	760
बलिया	खाद्य प्रसंस्करण	500

लोकार्पण को तैयार दूधिया लाइटों से रोशन पूर्वांचल एक्सप्रेस

9179
हेक्टेयर जमीन उद्योगों के लिए देखी गई

3.2
किमी की हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है

11 स्थलों पर टोल टैक्स की व्यवस्था

यूपीडा की ओर से 13 इंटरचेन्ज और 11 स्थलों पर टोल टैक्स की व्यवस्था है। इसमें छह स्थलों पर टोल प्लाजा और और पांच रैम्प प्लाजा भी बनाए गए हैं। सुलतानपुर जिले में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए 3 .2 किलोमीटर की दूसरी में हवाई पट्टी का निर्माण कराया है।

100 किमी से तेज नहीं चल सकेंगे

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर निर्धारित मानक से अधिक रफ्तार में कोई यात्रा नहीं करने पाएगा। अब लक्जरी वाहनों की एक्सप्रेस-वे पर अधिक्तम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।